Rapti nagar Phase-3, P.O. Arogya Mandir, Gorakhpur-273003 Mob. : 96702273..

Ref. .... Date : ....

सेवा में, दिनांक : 02–04–2017

माननीय मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ।

विषय : **क्लिनिकल स्टैब्लिसमेंट ऐक्ट के सम्बन्ध में { Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010}**

पूज्य महोदय,

यह कानून 2010 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जल्दबाजी में, बिना किसी बहस के पारित किया गया था । हमारे प्रदेश की पिछली सरकार ने भी इसे बिना किसी सार्थक बहस के पास करके लागू कर दिया, परन्तु चुनावी वर्ष होने के कारण अमल में नहीं आया । अब इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है । हमारा चिकित्सक समुदाय यह मानता है कि यह कानून जनहित में नहीं है । यह विकसित देशों के अस्पतालों या कार्पोरेट अस्पतालों को देखकर बनाया गया है । हमारे प्रदेश की और खास तौर से छोटे शहरों तथा गॉवों के हालात बिल्कुल अलग हैं। अतः इस कानून के कड़े मानकों को हमारे यहॉ के छोटे अस्पतालों में लागू करना असम्भव हो जायेगा।

इस कानून के वर्तमान स्वरूप में लागू होने के निम्नलिखित दुष्प्रभाव होंगेः–

1– एकल चिकित्सक वाले क्लीनिक (Solo Clinic / Diagnostic Center) तथा 10–20 बेड वाले छोटे नर्सिंग होम बन्द हो जायेंगे, क्योंकि उनके लिये Hospital (Level-1A and 1B) के मानकों को पूरा करना असम्भव हो जायेगा। इस बन्दी के कारण 85% आम जनता को डाक्टरी सेवा नहीं मिल पायेगी,

Scanned by CamScanner

भारतीय चिकित्सा संघ Indian Medical Association

President
Dr. B. B. Gupta
Buxipur, Gorakhpur
Mob. : 9721458886, (0551) 2336409
E-mail : bbgupta.gkp@gmai.com

Regd. No. 818/2013-2014
GORAKHPUR BRANCH, GORAKHPUR
Regd. Off. : Mand Budhi Bal Sansthan
Rapinagar Phase-3, P.O. Arogya Mandir, Gorakhpur-273003

Secretary
Dr. Shashank Kumar
Shiv Netralay & Femto Laser Centre
Gorakhnath over bridge Road, Gorakhpur
Mob. : 9670227909, E-mail : drshshnk@rediffmail.com

Ref. .....

Date : .....

क्योंकि अधिकतर लोग इन्हीं डाक्टरों के पास जाते हैं । यह लोग सरकारी अस्पतालों में जायेंगे तो वहॉ भीड़ को सम्भालना असम्भव हो जायेगा।

2– कुछ लोग मजबूरी में कार्पोरेट अस्पतालों का रूख करेंगे परन्तु वो उनकी पहुँच के बाहर होंगे, क्योंकि वहॉ चिकित्सा व्यवस्था अत्यधिक महंगी है।

3– **<u>बेरोजगारी बढ़ना</u>** :– जब Solo Clinic / Diagnositc Center जो एक डाक्टर के द्वारा चलाये जाते हैं, तथा छोटे नर्सिंग होम बन्द हो जायेंगे, तो इससे जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे । इससे व्यापक जनाक्रोश फैलेगा।

4– **<u>इंस्पेक्टर राज का वापस आना</u>** :– जो नर्सिंग होम या अस्पताल बचेंगे उनमें इलाज का खर्च कई गुना महंगा हो जायेगा । चिकित्सक मरीज की देखभाल में ध्यान देने की जगह, 27 सरकारी विभागों के मानकों को पूरा करने में ही जुटे रहेंगे । इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इंस्पेक्टर राज की वापसी हो जायेगी जो हमारी अत्यधिक लोकप्रिय वर्तमान सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी ।

अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कानून को हमारे प्रदेश में लागू ही न किया जाये। यदि यह सम्भव न हो तो इसमें निम्नलिखित सुधार (Amendments) किये जायें।

1– एकल चिकित्सक वाले अस्पतालों तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर को इस कानून से बाहर कर दिया जाये।

2– 10–20 शैय्या वाले नर्सिंग होमों या बजट हास्पिटल को भी इस कानून से

Scanned by CamScanner

भारतीय चिकित्सा संघ
Indian Medical Association

President
Dr. B. B. Gupta
Buxipur, Gorakhpur
Mob. : 9721458886, (0551) 2336409
E-mail : bbgupta.gkp@gmai.com

Regd. No. 818/2013-2014

GORAKHPUR BRANCH, GORAKHPUR
Regd. Off. : Mand Buchi Bal Sansthan
Raplinagar Phase-3, P.O. Arogya Mandir, Gorakhpur-273003

Secretary
Dr. Shashank Kumar
Shiv Netralay & Femto Laser Centre
Gorakhnath over bridge Road, Gorakhpur
Mob. : 9670227909, E-mail : drshshnk@rediffmail.com

Ref. .....

Date : .....

मुक्त कर दिया जाये, ताकि आम आदमी को बिमारी के समय तकलीफ न उठाना पड़े।

3– मानकों को पूरा करने के लिये अन्य अस्पतालों को भी एकल खिड़की की सुविधा (Single window clearance) दी जाये, ताकि हमें 27 विभागों का चक्कर न लगाना पड़े।

4– ट्रेन्ड पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिये भी हमें समय दिया जाये, क्योंकि इस समय उनकी उपलब्धता बहुत कम है। जैसे–जैसे ये उपलब्ध होंगे हम उसके मानकों को पूरा करेंगे।

5– गॉवों में नये डाक्टरों को क्लिनिक खोलने तथा अच्छे अस्पताल लगाने में सरकार मदद करे। तभी एक नया प्रशिक्षित चिकित्सक इन जगहों में काम करने के लिये प्रेरित होगा।

सहयोग की आकांक्षा से –

भारतीय चिकित्सा संघ (IMA)

गोरखपुर शाखा

संलग्नक : Annexture :

IMA White Paper on CEA

अध्यक्ष – डॉ0 बी0बी0 गुप्ता

सचिव – डॉ0 शशांक कुमार

Scanned by CamScanner